कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश होशंगाबाद (म0प्र0)

परिपत्र

क्र0 621 / दो–1–8 / 19

होशंगाबाद, दिनांक 11-06-2020

प्रति,

(1) समस्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी,
(2) समस्त अनुभागों के प्रभारी अधिकारीगण
होशंगाबाद / इटारसी / पिपरिया / सोहागपुर / सिवनीमालवा

विषयः– जिले में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों एवं समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों को कोरोना वायरस(कोविड–19) के संक्रमण के लक्षण अथवा संभावना प्रतीत होने पर चिकित्सीय परीक्षण के अलावा कर्तव्य पर उपस्थित न होकर तत्काल दूरभाष से सूचित करने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयानुसार कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस न्यायिक जिला स्थापना पर पदस्थ सभी न्यायिक अधिकारियों एवं समस्त तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने आवास से निजी व सुरक्षित साधन से मॉस्क लगाकर, ग्लब्स पहनकर तथा सेनिटाइजर साथ में लेकर सभी सुरक्षा उपायों के साथ कर्तव्य पर उपस्थित होंगे एवं सोषल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, साथ ही कोविड–19 के संक्रमण से बचाव के संबंध में केन्द्र सरकार / राज्य सरकार एवं माननीय उच्च न्यायालय एवं इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर जारी निर्देषों का पालन करेंगे।

साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि कोरोना वायरस(कोविड–19) के संक्रमण के लक्षण अथवा संभावना जैसे कि बुखार, जुकाम, गले में खरास, दर्द, सूखी खांसी व श्वास लेने में असुविधा आदि लक्षण प्रतीत होने पर अथवा परिवार में किसी भी सदस्य को उपरोक्त लक्षण प्रतीत होने पर चिकित्सीय परीक्षण व इलाज कराने के अलावा कर्तव्य पर उपस्थित न होकर तत्काल दूरभाष पर सूचित करेंगे।

उपरोक्त स्थिति में यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर, बिना पूर्व अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे और न ही अपना कर्तव्य मुख्यालय छोड़ेंगे।

जिले में पदस्थ सभी न्यायिक अधिकारीगण अपने न्यायालय में अथवा अधीनस्थ अनुभाग में पदस्थ समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचरियों को उपरोक्त निर्देश देते हुए यह भी सूचित करें कि उक्त निर्देशों की अवहेलना पाये जाने पर उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जावेगी।

(चन्द्रेश कुमार खरे)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद(म.प्र.)

होशंगाबाद, दिनांक 11-06-2020

पृष्ठांकन क्रमांक /दो–1–8/19

(1) प्रशासनिक अधिकारी/उपप्रशासनिक अधिकारीगण, होशंगाबाद,
(2) सिस्टम आफिसर/सिस्टम असिस्टेंट, होशंगाबाद
(3) जिला नाजिर, होशंगाबाद की ओर उपरोक्त परिपत्र में दिये गए निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद(म.प्र.)